पत्र संख्या–45/2025/1083/78-2-2025-ई-1771443

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डी0ई0जी0एस0, सोसाइटी, उत्तर प्रदेश ।
3- राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर,2025

विषय- जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों की सेवाएं दिनांक 31-12-2025 से आगे विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1/2024/1496/78-2-2023-ई-1771443, दिनांक 03-01-2024 द्वारा जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (ई0डी0एम0) की सेवाओं को विस्तारित (दिनांक 31 दिसम्बर, 2025) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि '' जो डीईजीएस अपने जनपद में तैनात ईडीएम के कार्य एवं व्यवहार से संतुष्ट हो, वह सीएससी-3.0 योजना हेतु ईडीएम के साथ नया अनुबन्ध करने पर विचार कर सकते है। नया अनुबन्ध 01-01 वर्ष कर कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर उनकी संविदा अवधि अधिकतम 02 वर्षों (दिनांक 31 दिसम्बर, 2027 तक) के लिये बढ़ायी जा सकती है।''

उक्त शासनादेश दिनांक 03-01-2024 की शेष व्यवस्था एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3- कृपया ससमय उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर सूचना राज्य समन्वयक, सीईजी को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-45(1)2025/1083(1)78-2-2025 एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इले0 अनु-1/2 उ0प्र0 शासन।
4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
5- हेड, एसईएमटी, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in